उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1
सं0-151/2018/सं0वि0क0नि0-1-1757/11-2018-400टी0(5)/18टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 01 नवम्बर, 2018

-: विज्ञप्ति / स्थानान्तरण / तैनाती :-

शासन की विज्ञप्ति संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1653/11-2018-400टी(5)/18 दिनांक 28.09.2018 द्वारा श्री राजीव कुमार सिंह, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर प्रभार वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-8 गोरखपुर का स्थानान्तरण/तैनाती असिस्टेन्ट कमिश्नर, सचल दल द्वितीय इकाई बांदा के पद पर किया गया।

2- श्री राजीव कुमार सिंह दिनांक 17.09.2018 से 02.11.2018 तक चिकित्सीय अवकाश पर होने के कारण उन्हें गोरखपुर के उक्त पद से अवमुक्त नहीं किया गया।

3- अत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 28.09.2018 को संशोधित करते हुए कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-3/2018/1/3/ 96-का-4-2018 दिनांक 29.03.2018 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति को शिथिल कर श्री राजीव कुमार सिंह, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर प्रभार वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-8 गोरखपुर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, पंजीयन प्रकोष्ठ गोरखपुर सम्भाग-बी गोरखपुर के पद/स्थान पर दिनांक 31.03.2019 तक के लिए एतद्वारा स्थानान्तरित/तैनात किया जाता है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

मो0 मारूफ
विशेष सचिव।

संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1757(1)/11-2018, तद् दिनॉक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ को प्रस्तुत करें।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।